




FORM No III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर

श्रीमति भंवरी बनाम कमलेश व अन्य
किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए मु0न0 20/2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16.05.2018	<p>वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए का जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया। वादीगण अभिभाषक को वाद पत्र पर सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 21.06.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर </p> <p>पुनश्च: पत्रावली लोक अदालत/कोर्ट कैम्प... हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी हो। पत्रावली दि... 21/6/18 को लोक अदालत/कोर्ट कैम्प... में पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (मु0) </p> <p>पक्षकारान उप/अनु/वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप/अनु/पक्षकारान को लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान में समझाईश की गयी। परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली पूर्व कार्यवाही हेतु दिनांक ... 21/6/18 ... को न्यायालय में पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  अध्यक्ष लोक अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर </p> <p>26/7/18</p> <p>पत्रावली आज वादी अभिभाषक के द्वारा मुकदमा 023 R1 जारी का पत्र पर नोटिस कि कि पत्रकारण के मध्य वादी वकील के द्वारा ही उक्त कार्य को वादीगण पर को जाने पत्रावली गयी जायेगी। अतः वाद को नोटिस में पत्रावली पर कार्य जारी गयी। अभिभाषक के द्वारा वाद आदेशों पर पत्रावली पर Not Picked आदेश पर अपने कथनों की सुविधि की गयी। अतः वादी अभिभाषक को वाद को Not Picked कि गयी। अतः वादीगण पर Not Picked में पत्रावली कि गयी। पत्रावली कि गयी। अतः गयी। अतः</p>

नम्ब
तारि
अहक
इस
की त
में ज

21/6

वकी
रजि
महे
Not pre
Aud